न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2018/00189

मिसलनम्बर–80 / 2018

युवल पुत्र विजय सुवालका जाति कलाल जर्ये नेक्स्ड फ्रेंड संरक्षक माता हर्षिता उर्फ डिम्पल सुवालका पत्नी विजय सुवालका जाति कलाल निवासी देवनारायण मंदिर के पास वाली गली बोरखेड़ा कोटा

–प्रार्थी

बनाम

1.रामगोपाल आत्मज भंवरलाल सुवालका जाति कलाल निवासी बालापुरा रोडवेज डिपो के पीछे बालाजी के मंदिर के पास भंवर किराना स्टोर कुन्हाड़ी
2.राधेश्याम आत्मज रामगोपाल जाति कलाल निवासी बालापुरा रोडवेज डिपो के पीछे बालाजी के मंदिर के पास भंवर किराना स्टोर कुन्हाड़ी
3.नरेन्द्र कुमार आत्मज रामगोपाल निवासी विक्रम किराना स्टोर माताजी के मंदिर के पास लाडपुरा कोटा
4.योगेश सुवालका आत्मज रमेशचंद्र जाति कलाल निवासी रमेश किराना स्टोर पानी की टंकी के पास भाटीगली कुन्हाड़ी कोटा
5.नकुल आत्मज जगदीश निवासी बालापुरा रोडवेज डिपो के पीछे बालाजी के मंदिर के पास भंवर किराना स्टोर कुन्हाड़ी
6.विजय आत्मज जगदीश निवासी रोडवेज डिपो के पीछे बालाजी के मंदिर के पास भंवर किराना स्टोर कुन्हाड़ी
7.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाड़पुरा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा राज0

–अप्रार्थीगण

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत् प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा।)

दिनांक 24/9/25

उपस्थितिः–

1.श्री भगवती वल्लभ शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी।
2.श्री घनश्याम नागर अधिवक्ता अप्रार्थीगण 4 व 6

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वर्तमान में 5 वर्ष 5 माह का है तथा नाबालिग है इस कारण से किसी भी प्रकार का वचन देने, संविदा करने एवं वाद प्रस्तुत करने हेतु अक्षम है तथा अवस्यक है, इस कारण से प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

की तरफ से वादमित्र अर्थात नेचुरल संरक्षक माता उसके हितो के रक्षार्थ निम्न आशय का वाद पत्र प्रस्तुत कर रहा है कि प्रार्थी द्वारा जरिये नेक्स्ड फ्रेण्ड उपरोक्त उनवान का वाद माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है। प्रार्थी की पुश्तैनी आराजी खसरा नं0 358/424 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम कुन्हाड़ी कोटा में स्थित है। उक्त भूमि रामगोपाल की पुश्तैनी आराजी है तथा रामगोपाल जी के चार पुत्र जगदीश, राधेश्याम, नरेन्द्र, योगेश है। इन पुत्रो मे से प्रार्थी के दादा जगदीश जी की मृत्यु हो गई है। तथा स्व. जगदीश जी के दो पुत्र विजय सुवालका व नकुल सुवालका जो उक्त स्वं. जगदीश जी के हिस्से 1/5 मे से 1/2, 1/2 हिस्से के खातेदार है तथा प्रार्थी स्व. जगदीश जी का पोत्र है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रार्थी का 1/20 हिस्सा निहित है जिससे प्रार्थी अपना हिस्सा घोषित कराकर विभाजन कराने का अधिकारी है। अप्रार्थी नम्बर 1 वृद्ध व्यक्ति है जिसके अन्दर सोचने समझने की क्षमता नहीं है, अप्रार्थी नम्बर 1 की इस स्थिति का फायदा उठाते हुए तथा प्रार्थी को उसके हक हकूक से महरूम करने की साजिशवश अप्राथी राधेश्याम, नरेन्द्र कुमार, योगेश कुमार व नकुल सुवालका ने उक्त आराजी का रजिस्टर्ड बेचान अपने नाम करवा लिया है, जो प्रार्थी के हितो स्वत्व के विपरीत होने के कारण शून्य है, क्योकि उक्त पैतृक आराजी मे प्रार्थी का जन्म से ही हित निहित है तथा रामगोपाल जी को प्रार्थी का हिस्सा बेचान करने का कतई अधिकारी नही था क्योकि सम्पूर्ण आराजी मे प्रार्थी का 1/20 हिस्सा निहित है। प्रार्थी के पिता द्वारा प्रार्थी एवं उसकी मां जो कि वाद पत्र में प्रार्थी की नेचुरल संरक्षक है को घर से निकाल दिया इस कारण से अलग निवास करते है इस बाबत् प्रार्थी की मां द्वारा कई बार अप्रार्थी नम्बर–1 से भूमि का बटवारा करवाने का अनुरोध किया, किन्तु अप्रार्थी नम्बर 1 हमेशा टालमटोल करता रहा तथा दिनांक 10.05.2017 को प्रार्थी की मां को प्रार्थी का हिस्सा देने से स्पष्ट तोर इनकार कर दिया इस पर प्रार्थी की मां द्वारा माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया, किन्तु डिफेन्टीव वाद होने के कारण प्रार्थी की मां द्वारा उक्त वाद के नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ विड्रो कर दिया, किन्तु इसी दौरान अप्रार्थीगणो द्वारा उक्त भूमि खसरा नम्बर 358/424 रकबा 0.08 हैक्टर वाके ग्राम कुन्हाडी मे कृषि भूमि पर अकृषि कार्य प्रारम्भ कर दिया तथा इस बाबत जब प्रार्थी की मां द्वारा दिनाक 12.10.2018 को अप्रार्थीगणो से सम्पर्क कर प्रार्थी के हिस्से की मांगे की तो उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर मना कर दियां इस कारण से वाद कारण दिनांक 10.01.2017 को एवं 12.10.2018 की उत्पन्न हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे इस कारण से प्रबल है कि उपरोक्त विवादित भूमि में प्रार्थी का हित उसके जन्म से ही है तथा उसके हक स्वत्व की भूमि का बेचान करने का अधिकार अप्रार्थी क्रम 1 को नहीं

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

था, किन्तु फिर भी अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा उक्त भूमि का बेचान बिना प्रतिफल के अपने पुत्रो व पोते को कर दिया। सुविधा संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में इस कारण से प्रबल है कि विवादित भूमि में प्रार्थी का 1/20 हिस्सा आत्यान्तिक रूप से निहित है, जिसे रहन बेचान करने का अप्रार्थी क्रम 1 को कोई अधिकार नही था तथा बिना अधिकार के उक्त भूमि का हस्तांतरण कर दिया गया है तथा उक्त हस्तांतरण के उपरान्त अप्रार्थीगण द्वारा भूमि पर अकृषि कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जिसका कि उन्हे कोई अधिकार नही है तथा यदि उक्त भूमि पर सम्पूर्ण रूप से अकृषि कार्य हो जाऐगा, जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी कीमत मूल्यों मे नही आंकी जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये भूमि खसरा नं0 358/424 रकबा 0.08 है0 भूमि वाके ग्राम कुन्हाड़ी कोटा में प्रार्थी को 1/20 हिस्से पर यथा स्थिति के आदेश प्रदान करते हुये भूमि के अन्य संक्रमण रहन, बेचान इत्यादी ना तो अप्रार्थीगण स्वयं करे ना ही अपने एजेन्टो से करावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित किये गये।

अप्रार्थी नं0 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ग्राम कन्हाड़ी में स्थित उक्त आराजी स्वअर्जित आराजी है। रामगोपाल जी के जगदीश, राधेश्याम, नरेन्द्र, योगेश पुत्र होना स्वीकार है , किन्तु उक्त आराजी में प्रार्थी का कोई हक व अधिकार होना व कब्जा काश्त होना स्वीकार नही है। ग्राम कुन्हाडी स्थित आराजी रामगोपाल आत्मज भंवरलाल जी कब्जे काश्त की आराजी है जो पंजीकृत विक्रय पत्र से अप्रार्थी द्वारा खरीद की गयी है। तथा बाद विक्रय पत्र अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, व काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी का वर्णित आराजी से कभी कोई संबंध नही रहा है और न ही प्रार्थी का वर्णित आराजी पर कभी कब्जा काश्त रहा है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ठोस तथ्यों पर आधारित नही होने व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नही है जिससे आराजी पैतृक हो, तथा पैतृक के संबंध में माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। रामगोपाल जी द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र से आराजी का बेचान कर देने से उक्त विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाये बिना प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नही है और उक्त विक्रय पत्र के संबंध में माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में असत्य तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.18 को खारिज करवा लिया गया, इस प्रकार एक बार वाद खारिज हो जाने के बाद

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थी द्वारा पुनः उन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया गया जो सारहीन है। अप्रार्थी पंजीकृत विक्रय पत्र से आराजी खरीद की गयी तथा बाद विक्रय पत्र अप्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है , इस प्रकार अप्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार होने से अप्रार्थी को कानून पाबन्द नही किया जा सकता। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी नं0 6 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ग्राम कन्हाड़ी में स्थित उक्त आराजी स्वअर्जित आराजी है। रामगोपाल जी के जगदीश, राधेश्याम, नरेन्द्र, योगेश पुत्र होना स्वीकार है , किन्तु उक्त आराजी में प्रार्थी का कोई हक व अधिकार होना व कब्जा काश्त होना स्वीकार नही है। ग्राम कुन्हाडी स्थित आराजी रामगोपाल आत्मज भंवरलाल जी कब्जे काश्त की आराजी है जो पंजीकृत विक्रय पत्र से अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। तथा बाद विक्रय पत्र अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, व काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थी न तो खातेदार है और न ही वर्णित आराजी से किसी प्रकार का कोई संबंध है, किन्तु फिर भी आराजी को विवादित करने के ध्येय से असत्य तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो सारहीन है। प्रार्थी का वर्णित आराजी से कभी कोई संबंध नही रहा है और न ही प्रार्थी का वर्णित आराजी पर कभी कब्जा काश्त रहा है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ठोस तथ्यों पर आधारित नही होने व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नही है जिससे आराजी पैतृक हो, तथा पैतृक के संबंध में माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। रामगोपाल जी द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र से आराजी का बेचान कर देने से उक्त विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाये बिना प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नही है और उक्त विक्रय पत्र के संबंध में माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में असत्य तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.18 को खारिज करवा लिया गया, इस प्रकार एक बार वाद खारिज हो जाने के बाद प्रार्थी द्वारा पुनः उन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया गया जो सारहीन है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

अप्रार्थीगण 2, 3, 5 बावजूद सूचना उपस्थित नही हुये अतः अप्रार्थी 2, 3, 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। अप्रार्थी नं0 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया अतः अप्रार्थी नं0 1 का जवाब बंद किया गया।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के उपरांत पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। उभयपक्ष की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में लिखित बहस पेश की।

बहस प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से सुने जाने के पश्चात् पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थी की पुश्तैनी आराजी खसरा नं0 358/424 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम कुन्हाड़ी कोटा में स्थित है। उक्त भूमि रामगोपाल की पुश्तैनी आराजी है तथा रामगोपाल जी के चार पुत्र जगदीश, राधेश्याम, नरेन्द्र, योगेश है। इन पुत्रो मे से प्रार्थी के दादा जगदीश जी की मृत्यु हो गई है। प्रार्थी स्व. जगदीश जी का पोत्र है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रार्थी का 1/20 हिस्सा निहित है। प्रार्थी की ओर से फर्द दस्तावेज फोटो पेश किये है जिनके अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि आबादी क्षेत्र से घिरी हुई है। वादी द्वारा विवादित आराजी पर अपना कब्जा काश्त साबित करने हेतु किसी प्रकार के कोई सारभूत एवं ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है जिससे ये सिद्ध होता हो कि विवादित आराजी पर वादी काबिज हो। प्रतिवादी नं0 2 लगायत 5 को प्रश्नगत भूमि का स्वत्व पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर अंतरित हुआ है। वादी द्वारा प्रतिवादी नं0 2 लगायत 5 का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने की कार्यवाही को चुनौती दी है, परन्तु प्रतिवादी नं0 2 लगायत 5 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र अस्तित्व में है इसलिए पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही विधिक रूप से आवश्यक व अपेक्षित है एवं सर्वप्रथम पंजीकृत दस्तावेजों को निरस्त करने का अनुतोष सिविल न्यायालय द्वारा ही दिया जा सकता है। प्रार्थी की ओर से उक्त आराजी पर कब्जे के सम्बंध में भी कोई प्रमाण पेश नही किया है जिससे प्रार्थी का उक्त आराजी पर कब्जा साबित हो। कानूनन रिकॉर्डेड खातेदार के पक्ष में कब्जे की आवधारणा रहती है। जिस कारण से भी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की हद तक उपरोक्त भूमि पर रिकॉर्डेड खातेदार अप्रार्थीगण नं0 2 लगायत 5 का कब्जा प्रतीत होता है। स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा तब ही जारी की जा सकती है जब वादी भूमि के कब्जे में हो किन्तु जब यदि अप्रार्थीगण 2 लगायत 5 पहले से ही भूमि के कब्जे में है तो ऐसे कब्जाधारी प्रतिवादी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकता है। अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस बनना नही पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

चूंकि प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में बनना नही पाया गया है इसके विपरीत प्रथम दृष्टया वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण नं0 2 लगायत 5 कब्जा प्रतीत होता है जिसके कारण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में बनना नही पाया जाता है।

पक्षकारान के मध्य जो विवाद है वह तो मूल वाद में ही तय होंगे। उक्त विवेचन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के स्तर तक ही है, जिसका मूल वाद पर कोई असर नही है। चूंकि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के स्तर पर प्रथम दृष्टया, केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनना नही पाया गया है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार योग्य होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।

उक्त निर्णय आज दिंनाक 29/9/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी कोटा

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा